UPRB010034412026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच0 जे0 एस0)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1457/2026

1. गोपाल सिंह उम्र वर्ष पुत्र महेश सिंह निवासी गाजीपुर भैसामऊ बक्शी का तालाब थाना बक्शी का तालाब जिला लखनऊ।

2. राधिका देवी उम्र वर्ष पत्नी गोपाल सिंह निवासी काजीपुर भैसामऊ बक्शी का तालाब थाना बक्शी का तालाब जिला लखनऊ।

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली।

...........विपक्षी/अभियोगी

दिनांक–05.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **गोपाल सिंह व राधिका देवी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत **अपराध संख्या–569/2025, धारा–318(4), 319(2),336(3),338,340(2), 3/5, 61(2) बी. एन. एस.,** थाना कोतवाली नगर, जिला रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा मुकेश वर्तमान में मुख्य प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा, मुख्य शाखा रायबरेली के पद पर कार्यरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्या शाखा रायबरेली में कुल अड़तालीस खातों में गलत तरीके से (आवेदकों ऋण धारकों ने अपनी पहचान छिपाकर व गलत पहचान लगाकर) व्यक्तिगत ऋण प्राप्त किया है जिन व्यक्तियों का पहचान पत्र ऋण पत्रावली में लगाया गया है उनके नामों की सूची निम्नवत हैं इस सम्बन्ध में आप श्रीमान के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया है एवं,

जिसकी सूचना हमें आर बी आई एवं भारत सरकार वित्त मंत्रालय को प्रेषित करने का भी कथन किया है।

1. उत्तम चक्रवर्ती पुत्र हरी लाल पता पूरे अमेटियन पोस्ट हरपुरहल्ला, सलोन रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026429 ऋण राशी 19,00,000/–, 2. उमाशंकर पुत्र गंगा सहाय पता पूरे बाबा रायपुर टप्पा हवेली डलमऊ रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026463 ऋण राशी 18,50,000/–,3. सरिता पत्नी संदीप शुक्ला ग्राम रसूलपुर थुलेंडी, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026465 ऋण राशी 18,00,000/– 4. मोहम्मद शरीफ पुत्र कल्लू सैय्यद निवासी 113/3 सर्वोदय नगर रायबरेली ऋण खाता संख्या 005206000 26470 ऋण राशी 19,50,000/–, 5.अर्चना मिश्रा पत्नी कन्हैया लाल, निवासी गढ़ी हरदासपुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026484 ऋण राशी 20,00,000/–, 6. अंजु सिंह पत्नी विवेक सिंह पता 308 विकास नगर ऋण खाता संख्या 00520600026490 ऋण राशी 20,00,000/–पोस्ट नसीराबाद, 7. संजय कुमार पुत्र मिश्री लाल पता चिनौता महमदपुर नमकसार, ऋण खाता संख्या 00520600026500 ऋण राशी 19,40,000/–, 8. रमेन्द्र सिंह पुत्र राम आसरे पता चारुहार बीक गौरा रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026506 ऋण राशी 19,80,000/–, 9. शिवरानी w/o संत लाल पूरे बाबा रायपुर डलमऊ मुराई का बाग रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026507 ऋण राशी 18,50,000/–,10. शीला देवी पुत्र गोविंद प्रसाद पता 16/3 गोरा बाजार, पी.ए.सी. रायबरेली ऋण खाता संख्या 005206 00026514 ऋण राशी 20,00,000/–, 11. अंकित सोनकर पुत्र मुन्ना लाल पता 14सी पीडब्ल्यूडी कालोनी रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026522 ऋण राशी 20,00,000/–, 12. राजू पुत्र बच्चू लाल पता 183/9 गौरा बाजार रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026527 ऋण राशी 20,00,000/–, 13. कामिनी राठौर w/o बबलू राठौर पता 232/43 सत्य नगर, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026536 ऋण राशी 19,50,000/–, 14. मो0 रईस पुत्र मो. अजीम पता ग्राम महमदपुर नमकसार, ओदारी रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026537 ऋण राशी 19,80,000/–, 15. अवधेश पुत्र राम लखन पता 146, शेखपुर समोधा, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026541 ऋण राशी 19,40,000/–, 16. नीरज पुत्र रमेश पता 520 नई बस्ती देवानन्दपुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026546 श्रण राशी 19,00,000/–,

17. आरिफ अली पुत्र मोहम्मदपुर रफी ग्राम बैदुपुर रहवा, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026574 ऋण राशी 19,00,000/–, 18. सुमित्रा w/o राजेन्द्र 3, रेलवे कालोनी जहानाबाद पोस्ट व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026575 ऋण राशी 20,00,000/–,19. बबलू राठौर पुत्र रामरतन राठौर पता मकान नं. 16 रतापुर, हरदासपुर रायबरेली ऋण खाता सं 005206000 26578 श्रण राशी 19,40,000/–, 20. रानी पत्नी सुनील पता 21/87, चिनौटा, महमदपुर नमकसार, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026579 ऋण राशी 20,00,000/–, 21. विनोद कुमार वर्मा पुत्र राम सेवक वर्मा पता मकान नं. 344. काशीराम कालोनी रतापुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 1520600026 591 ऋण राशी 20,00,000/–, 22. मनोज कुमार गौतम पुत्र रमेश पता 7/8, उत्तर दरवाजा पोस्ट व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026595 ऋण राशी 19,80,000/–, 23. कमल सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह पता 18/3 नई बस्ती रतापुर देवानंदपुर पोस्ट व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026596 ऋण राशी 19,00,000/–, 24. सचिन कुमार पुत्र राज किशोर पता गोरा बाजार रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026597 ऋण राशी 19,80,000/–, 25. दिनेश सिंह पुत्र राम किशन सिंह पता 39, बैहराना, एनईआर रेलवे स्टेशन पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता सख्या 00520600026599 ऋण राशी 20,00,000/–, 26. श्याम सिंह पुत्र ललक सिंह पता मकान नं–09, सिमरिया ऊंचाहार पो. एफ.जी. पी.टी ऊंचाहार जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026600 ऋण राशी 20,00,000/–, 27. गोविंद सिंह पुत्र बेचेलाल पता सकरा रतंसीपुर, बैतुरा रतंसीपुर पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026601 ऋण राशी 20,00,000/–, 28. करन सिंह पुत्र शिव शंकर पता मकान नं. 13 अमर नगर वार्ड नं. 21 रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026609 ऋण राशी 20,00,000/–,29. साबिर पुत्र पुत्तन पता 170, आवास विकास, इंदिरा नगर, रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026610 ऋण राशी 19,80,000/–, 30. अमित कनौजिया पुत्र संजय कुमार पता अल–2–85, नीम पार्क, जवाहर विहार कालोनी, मलिकमऊ रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026612 ऋण राशी 8,50,000/–, 31. शुबी तरन्नुम w/o मो० अहमद पता मकान नं. 144, पो. हरदासपुर खोर हरदासपुर जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026613 ऋण राशी 20,00,000/–, 32. सूरजभान पुत्र–छोटेलाल पता 02, कहारों का अड्डा, किला

बाजार, पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026614 ऋण राशी 19,70,000/-, 33. रीना राठौर w/o लखवेन्दर पता मकान नं. 186, प्रगतिपुरम रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026617 ऋण राशी 19,00,000/-, 34. सोनम सिंह पत्नी रघुनन्दन सिंह पता 362, काशीराम कालोनी, पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026619 ऋण राशी 20,00,000/-, 35. लालता कुमार पुत्र लल्लू पता 108/12, सलारपुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026620 ऋण राशी 19,80,000/-, 36. भोला पंडित पुत्र काशी प्रसाद पता 04, कासो ग्राम पहाड़पुर जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 0520600026624 ऋण राशी 20,00,000/-, 37. सचिन कुमार पुत्र राम लाल ग्राम मधुपुरी मुंशीगंज पो व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026626 ऋण राशी 20,00,000/-, 38. अली खान पुत्र अहमद अली पता 01 प्रयागराज रोड, इंदिरा गार्डन,पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026629 ऋण राशी 20,00,000/-, 39. राम औतार पुत्र सीताराम पता सकरा रतंसीपुर, बैतुरा रतंसीपुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026630 ऋण राशी 20,00,000/-, 40. अभिनय सविता पुत्र सीताराम सविता पता सी-173, आवास विकास कालोनी इन्दिरा नगर, पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026632 ऋण राशी 17,50,000/-, 41. प्रिया पत्नी ओम शंकर पता न्यू बस्ती देवानदपुर पो. व जिला रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026636 ऋण राशी 19,00,000/-, 42. सत्यम पुत्र श्री होरी लाल पता पटेल नगर कालोनी विष्णुपुर बछरावां रायबरेली ऋण खाता संख्या 00520600026640 ऋण राशी 19,70,000/-, 43. सलोनी W/O राजकुमार राठौर पता 01 खोर हरदासपुर रायबरेली ऋण खाता संख्या 0059060002926 ऋण राशी 20,00,000/-, 44. राजू पुत्र बच्चूलाल पता 183/9, गोरा बाजार रायबरेली ऋण खाता संख्या 0059060002942 ऋण राशी 20,00,000/-, 45. संग्राम पुत्र सुंदर लाल पता चिनौती, महमदपुर, नसीराबाद, पो. ओदारी रायबरेली ऋण खाता संख्या 0059060002912 ऋण राशी 19,25,000/-, 46. अनिल कुमार गौतम पुत्र तुलसीराम पता जगतपरु गोपियापुर पो. केवलपुर बरेठा रायबरेली ऋण खाता संख्या 0059060002889 ऋण राशी 19,00,000/-, 47. राजेंद्र कुमार पुत्र राधेलाल पता वाड नं. 21. एम 563. अमर नगर रायबरेली ऋण खाता संख्या 005906 0002865 ऋण राशी 19,20,000/-, 48. अनीश कुमार पुत्र रमेश कुमार पता

551. सत्य नगर, रायबरेली ऋण खाता संख्या 0056060003654 ऋण राशी 13,90,000/–, सलग्नक क्रम सं. 1 से 48 तक ऋणियों के नाम, पिता का नाम, पता व ऋण खाता संख्या की सूची क्षेत्रीय कार्यालय द्वितीय तल, 920–लोधवारी कोठी, निकट डिग्री कालेज चौराहा, रायबरेली।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी / अभि० गण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण नहीं है प्रार्थी/अभि०गण को महज गुडवर्क दिखाने के उददेश्य से उक्त मामले में प्रकाश में लाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा गलत एंव फर्जी निराधार झूठे व असत्य अभिकथनो के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी है प्रार्थी / अभि०गण पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से राय मशविरा के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। प्रार्थी/अभि०गण ने कथित दिनांक व समय पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही किया है न ही सामान्य आशय से आपराधिक षडयंत्र करते हुए पहचान छिपाकर किसी प्रकार की कोई भी धोखाधडी आदि नही की गयी है और न ही किसी मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत आदि की जालसाजी आदि करते हुए कूटरचित दस्तावेजो का उपयोग नही किया गया है कथित घटना से प्रार्थी / अभि०गण का कोई वास्ता व सरोकार नही है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एंव निष्पक्ष साक्षी जनता का नही है। कथित घटना का कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नही है जो यह साबित कर सके कि कथित घटना मे प्रार्थी / अभि०गण की किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी रही है महज मनगढंत साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त मामले मे वांछित किया है। प्रथम दृष्टया अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से प्रार्थी / अभि०गण पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नही सृजित होता है। प्रार्थी / अभि०गण पति पत्नी है इसके अलावा परिवार मे छोटे–2 बच्चे है जिनकी देखभाल करने वाला प्रार्थी / अभि०गण के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी/अभि०गण के जेल मे निरूद्ध रहने से प्रार्थी / अभि० गण के बच्चे भुखमरी की कगार पर पहुंच गये है। प्रार्थी / अभि०गण का पूर्व का कोई भी अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी / अभि०गण का जमानत प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी/अभि० दिनांक 09.04.26 से जिला कारागार रायबरेली मे निरूद्ध है। प्रार्थी / अभि०गण उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी / अभि०गण के फरार होने की कोई सम्भावना नही है एंव माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और जमानत की प्रतिभूतियो को प्रस्तुत करने

के लिए तैयार है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य जनपद न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। कि वाद उपरोक्त मे प्रार्थी / अभि०गण अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है उसका वह दुरूपयोग नही करेगे एंव माननीय न्यायालय के आदेशो का अनुपालन करेगे एंव विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगे एंव नियत तिथि पर हाजिर अदालत आते रहेगे। अतः मामले की जांच और सुनवाई के दौरान अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियुक्त की ओर से यह बहस की गयी कि प्रार्थी / अभि० गण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण नहीं है प्रार्थी/अभि०गण को महज गुडवर्क दिखाने के उददेश्य से उक्त मामले में प्रकाश में लाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा गलत एंव फर्जी निराधार झूठे व असत्य अभिकथनो के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी है। प्रार्थी / अभि०गण पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से राय मशविरा के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। प्रार्थी/अभि०गण ने कथित दिनांक व समय पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही किया है न ही सामान्य आशय से आपराधिक षडयंत्र करते हुए पहचान छिपाकर किसी प्रकार की कोई भी धोखाधडी आदि नही की गयी है और न ही किसी मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत आदि की जालसाजी आदि करते हुए कूटरचित दस्तावेजो का उपयोग नही किया गया है। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार है।

उक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी द्वारा यह बहस की गयी कि दौराने विवेचना याची/अभि० राधिका देवी के द्वारा आदर्स ट्रेजर के नाम से खाता खुलवाया गया उपरोक्त खाते में वेतन स्लिप के रूप में लेनदेन दिखाया गया तथा गोपाल सिंह उपरोक्त के द्वारा अन्य लोगो के खाते खुलवाये गये तथा उनका पर्सनल लोन करवाने में कमीशन के रूप में 50000/– रूपये प्रति लोन लिया गया। दोनो अभियुक्तगण आपस में पति पत्नी है इनके द्वारा लोगो के कूटरचित नियुक्ति प्रमाण पत्र, फर्जी सैलरी स्लिप व बैंक के कर्मचारियों से सांठगांठ करके लोगो के पर्सनल लोन कराये जाने का साक्ष्य पाये जाने व नाम प्रकाश में लाया गया। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभयपक्ष के तर्क के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि बैंक आफ बड़ौदा मुख्य शाखा रायबरेली के मुख्य प्रबंधक वादी मुकदमा मुकेश कुमार द्वारा कुल 48 खातों में गलत तरीके से आवेदक/ऋण धारको द्वारा अपनी पहचान छिपाकर व गलत पहचान लगाकर व्यक्तिगत ऋण प्राप्त किये जाने का कथन करते हुए 47 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा औसतन 19 लाख का ऋण बैंक आफ बड़ौदा से प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। अभियुक्तगण गोपाल सिंह व राधिका देवी द्वारा दिये गए बयान में उन्हें बैंक से लोन प्राप्त करना स्वीकार किया गया है एवं गोपाल सिंह नामक व्यक्ति के माध्यम से उक्त लोन कराया जाना भी स्वीकार किया है। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण गोपाल सिंह व राधिका देवी के बयान लिये गए हैं जिसमें उक्त तथ्य की पुष्टि की गई है। विवेचना के दौरान अभियुक्त गोपाल सिंह व राधिका देवी के बैंक लोन से संबंधित प्रपत्र संकलित किये गए हैं जो उनके द्वारा लगाये गए अभियोग की पुष्टि करते हैं।

अतः मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **गोपाल सिंह व राधिका देवी** द्वारा अपराध संख्या–**569/2025,** अन्तर्गतधारा–**318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 3/5, 61(2) बी. एन. एस.,** थाना **कोतवाली नगर** ,जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(कुशलपाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
UPID 06165
05.06.2026

Vishnu Prakash Srivastava
(Stenographer)